न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः–65 / 19 निर्णय दिनांकः–20.10.2020

1 श्री शंकर पिता नाथा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्री बसु पिता नाथा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. कमला पिता बदा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. गेना पिता मनजी विहाज भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. जीवा पिता बदा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. दुर्गा पिता कन्हैयालाल विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5. बाजु पिता देवचंद भील विहात जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6. भगा पिता देवचंद विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
7. भुरा पिता देवचंद विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
8. नानी पत्नि स्व. कन्हैयालाल विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
9. बसन्ति पिता कन्हैयालाल विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
10. मणीलाल पिता कन्हैयालाल विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
11. राजु पिता कन्हैयालाल विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
12. वलमा पिता बदा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
13. शंकर पिता बदा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
14. शांति पिता बदा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
15. शांति पिता बदा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
16. सरदारा पिता नानीया विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

क्रमशः पेज 2 पर

उप खण्ड अधिकारी

17. कैलाश पिता सवजी विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
18. धर्मा पिता सवजी भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
19. नाथी पत्नि सवजी विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
20. शिल्पा पिता सवजी विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
21. हुका पिता बदा विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
22. हुरमा पिता मनजी विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
23. सोता पिता मनजी विहात भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गंदवा पाल फला गोहिया तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
24. श्री राजस्थान सरकार जरीए भुमिधारी तहसीलदार साहब झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी :– श्री श्रवण रावल उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री कपिलदेव रोत उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 23 जो एक ही परिवार के सदस्य होकर श्री नानीया, बदा व मनजी 'तीन भाई होकर वादीगण व प्रतिवादीगण नानीया, बदा व मनजी के विधिक वारिसान है। मुलपुरूष नानीया के तीने संताने होकर उनके नाम देवचंद, सरदारा व नाथा है। तथा देवचंद व नाथा की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। देवचंद के विधिक वारिसान प्रतिवादी बालु, भगा व भुरा है। तथा नाथा के विधिक वारिसान वादीगण है। वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व की पैतृक भुमि ग्राम गंदवा में स्थित है। जिसका खाता संख्या 790, खसरा संख्या 4509, 4743, 4744, 4748, 4902, 4939, 5986, 5987 खेत किता 8 रकबा 2.8958 हैक्टेयर होकर स्थित है।

वादीगण द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व खाते की नकले प्राप्त की तो जानकारी में आया कि वादीगण के काका सरदारा व ताउजी देवचंद का नाम तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। देवचंद की मृत्यु हो चुकी है जिनकी संतानों के नाम बालु, भगा व भुरा है। लेकिन वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नही है।

क्रमशः पेज 3 पर

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

जिस पर यह बात प्रतिवादीगण को बताई गई तो उन्होने भी जानकारी होने से इंकार किया। और वादीगण को कहा की नाम दर्ज कराने में सहमत है। जिस पर पटवारी से सॅपर्क किया तो बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नाम दर्ज करने में असमर्थता जताई जिस पर वाद न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। वादीगण के पिता नाथा की अन्य भुमि जो गंदवा में स्थित है उस भुमि में वादीगण के पिता नाथा तथा अन्य भाई देवचंद व सरदारा का नाम चला आ रहा है। वादीगण के पिता नाथा के भाई देवचंद की मृत्यु हो चुकी है। और उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है ऐसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान का नाम खाते में दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा इसी प्रकार वादीगण के पिता नाथा के भाई सरदारा का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन वादीगण के पिता नाथा की मृत्यु हो जाने से वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जबकि वादग्रस्त भुमि वादीगण के दादा से आई है। जिस पर वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा। जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भुमि में जरीए दन्द्राज दुरस्ती वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर उनका 1/8 हिस्सा होना दर्ज किया जावे तथा श्री देवचंद की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान बालु, भगा, भुरा का नाम दर्ज किया जावे तथा उनका राजस्व रिकॉर्ड में 1/8 हिस्सा दर्ज किया जावे निम्न दाद चाही है जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर वादीगण द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। उसी दौरान दिनांक 25.09.2019 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 25/09/2019 व 26/09/2019 को प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर ग्राम गंदवा, खाता संख्या 790, खसरा संख्या 4509, 4743, 4744, 4748, 4902, 4939, 5986, 5987 खेत किता 8 रकबा 2. 8958 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्ज काश्त की विरासती खातेदारी आराजी होकर उनके हिस्से में आयी। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती से नानीया की तीन संतानों में देवंचद व सरदारा का नाम तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया लेकिन नाथा का नाम भुलवंश दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में वादीगण का नाम प्रतिवादीगण के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। नानीया की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। उसके पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण के आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र पर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भुमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 23 जो एक ही परिवार के सदस्य होकर श्री नानीया, बदा व मनजी 'तीन भाई होकर वादीगण व प्रतिवादीगण नानीया, बदा व मनजी के विधिक वारिसान है। मुलपुरूष नानीया के तीने संताने होकर उनके नाम देवचंद, सरदारा व नाथा है। तथा देवचंद व नाथा की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है।

क्रमशः पेज 4 पर

उप खण्ड अधिकारी
ीमलवाडा मु0 धम्बोला

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री शंकर वगैरह बनाम श्री कमला वगैरह

वाद बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 राज.टी. एक्ट व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बरः– 65/19

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरी :– श्रवण रावल मिनजानिब मुदई, कपिलदेव रोत मिनजानिब मुदायलाह की बहस सुनी गई पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गंदवा, खाता संख्या 790, खसरा संख्या 4509, 4743, 4744, 4748, 4902, 4939, 5986, 5987 खेत किता 8 रकबा 2.8958 हैक्टेयर में वादीगण को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जाता है।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 20.10.2020 को जारी की गई।

दस्तखत. उप खण्ड अधिकारी
ओहदा सीमलवाडा मु0 धम्बोला

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

देवचंद के विधिक वारिसान प्रतिवादी बालु, भगा व भुरा है। तथा नाथा के विधिक वारिसान वादीगण है। वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व की पैतृक भुमि ग्राम गंदवा में स्थित है। जिसका खाता संख्या 790, खसरा संख्या 4509, 4743, 4744, 4748, 4902, 4939, 5986, 5987 खेत किता 8 रकबा 2.8958 हैक्टेयर होकर स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी होकर उनके हिस्से में आयी। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती से नानीया की तीन संतानों में देवंचद व सरदारा का नाम तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया लेकिन नाथा का नाम भुलवंश दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में वादीगण का नाम प्रतिवादीगण के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। नानीया की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। तथा प्रकरण मे दोनो पक्षकारो का आपसी राजीनामा भी हो चुका है ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें आपसी राजीनामा अनुसार मुलपुरूष नानीया के विधिक वारिसान सरदारा, देवचंद व नाथा थे। जिसमें नानीया की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण में सरदारा व देवचंद का नाम तो दर्ज कर दिया गया है। लेकिन नाथा का नाम राजस्व कर्मचारीयों की गलती से भुलवंश दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में उक्त त्रुटी को स्वीकार कर निवेदन किया कि वादी प्रतिवादीगण के बिच हुए राजीनामे को स्वीकार कर तथा उक्त त्रुटी सुधार हेतु आदेशित करे। वादीगण का नाम प्रतिवादीगण के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। नानीया की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। ऐसे में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

प्रकरण में दोनों पक्षकारगणों का आपसी राजीनामा होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गंदवा, खाता संख्या 790, खसरा संख्या 4509, 4743, 4744, 4748, 4902, 4939, 5986, 5987 खेत किता 8 रकबा 2.8958 हैक्टेयर में वादीगण को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उप खण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाड़ा [illegible?]

आदेश आज दिनांक 20ील .10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा [illegible?]